फर्द अहकाम

(29)

...लय सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

मन्नी बनाम तीजा वगै.

...संख्या /वर्ष TiNo. 90/2020 /20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
07/06/22	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र टीआई का मय मूलवाद व प्रस्तुत दस्तावेजात अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 19 की पैतृक व मौरूसी जायदाद है। क्योंकि आराजीयात जागीरी के जमाने से ही प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 19 के बुजुर्ग श्योप्रताप इसी आराजीयात में कब्जे काश्त में रहे व जागीरदार को लगाने देते रहे श्योप्रताप की मृत्यु के पश्चात् इस आराजीयात पर रामकुंवार व नानगराम समान्तर हिस्से अनुसार सहकृषक सम्मिलित कब्जे काश्त में रहे व सम्मिलित में राज्य सरकार को लगान अदा करते रहे। जागीरी पूर्णग्रहण के पश्चात् वरवक्त सेटलमेंट सर्वेक्षण के दौरान कुटुम्ब में स्व0 श्री नारायण कर्ता खानदान में बडा होने के कारण वादग्रस्त आराजीयात की खातेदारी वरवक्त सेटलमेंट विभाग द्वारा श्री नारायण पुत्र श्योप्रताप के नाम लगा दी गई व पर्चा श्री नारायण के नाम ही तकसीम कर दिया गया। जबकि आराजी मुतनाजा पर जागीरी के पूर्व रामकुवार व नानगराम सम्मिलित में कब्जे काश्त में रहे व राज्य सरकार को सम्मिलित में लगान अदा करते रहे। श्रीनारायण, रामनारायण, ग्यारसीलाल, मूलचन्द, गोविन्दराम व जौहरीलाल की मृत्यु के पश्चात् प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 19 आराजी मुतनाजा पर कब्जे काश्त में है। अप्रार्थीगण संख्या 22 व 23 ने अपने जवाब में अंकित किया है कि वादग्रस्त सम्पत्ति प्रार्थीगण की कभी भी पैतृक व मौरूसी जायदाद नही रही है। प्रार्थीगण का वादग्रस्त सम्पत्ति पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है और ना ही आज दिनांक को है प्रार्थीगण ने कभी लगान नही दियां है। वादग्रस्त सम्पत्ति खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2004 से 2023 के अनुसार रामनारायण व श्रीनारायण के नाम है। श्रीनारायण व रामनारायण की मृत्यु के पश्चात् सैटलमेन्ट विभाग से इन्द्राज श्रीमती लाडा देवी बेवा श्रीनारायण रमेश पु[illegible] शान्ति देवी पत्नी गोपाल और [illegible] नाम से ही हुआ है। मिन प्रतिवादी प्रथा कंवर [illegible] सिंह व रामप्रकाश ने श्रीमती [illegible] शान्ति देवी, मोहनी देवी से खरीद की है। इस प्रकार सम्पूर्ण वादग्रस्त सम्पत्ति का बेचान खातेदार काश्तकारो द्वारा बैचान कर विधिवत रूप से कब्जा संभला दिया गया एवं	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.13 16:06:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर

Scanned with OKEN Scanner

AC-II [illegible]

T.I. No- 90/2020

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		पंजीकृत विक्रय पत्र व कब्जे काश्त के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में क्रेतागण के नाम से इन्द्राज अमल दरामद हो चुके है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात में नामांतकरण संख्या 35[illegible] के द्वारा जो खातेदारी श्रीमती लाडा देवी बेवा श्रीनारायण रमेश पुत्र गोपाल, शान्ति देवी पत्नी गोपाल और मोहनी बेवा रामनारायण के नाम अंकित हुई थी और इसी खातेदारी अंकन के आधार पर उक्त खातेदारान श्रीमती लाडा देवी बेवा श्रीनारायण रमेश पुत्र गोपाल, शान्ति देवी पत्नी गोपाल और मोहनी बेवा रामनारायण ने वादग्रस्त आराजीयात का बेचान अप्रार्थी संख्या 20 ता 28 को किया है। लेकिन माननीय संभागीय आयुक्त महोदय ने अपने अपील संख्या 189/2013 आदेश दिनांक 06.11.2013 के द्वारा नामांतकरण संख्या 353 को खारिज कर दिया है। और उक्त आदेश की अपील माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान में विचाराधीन है जिसमें किसी प्रकार का आदेश पारित नही किया गया है। ऐसे में वादग्रस्त आराजीयात में यह निर्धारित नही किया जा सकता है कि जो बेचान श्रीमती लाडा देवी बेवा श्रीनारायण रमेश पुत्र गोपाल, शान्ति देवी पत्नी गोपाल और मोहनी बेवा रामनारायण ने किया है वह सही है अथवा नही। जहां तक वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थीगण के अधिकारो की बात है इस स्तर पर यह निर्धारित नही किया जा सकता है कि वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थीगण के अधिकार निहित है अथवा नही लेकिन यह तो तय है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 19 एक ही परिवार के सदस्य है। ऐसे में वाद व प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दु तथ्य व विधि के मिश्रित प्रश्न है जिनका विनिश्चयन मूलवाद में पर्याप्त साक्ष्य लेकर गुणावगुण के आधार पर किया जाना है। अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दु पर सर्वप्रथम वादग्रस्त सम्पत्ति को मूलवाद के निस्तारण तक संरक्षित बनाये रखना न्यायोचित समझते है। ताकि सम्पत्ति का अन्य संक्रामण न हो तथा वाद में और अधिक जटिलता व वाद बाहुल्यता न बढे। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 15.09.2017 को ताफैसला मूलवाद कन्फर्म किया जाता है व अप्रार्थी संख्या 15/1 लगायत 15/3 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर टीआई स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि ताफैसला मूलवाद वादग्रस्त आराजियात हाल खसरा [illegible] 3903, 3907, 3908, 3941, 3949, 3952, 3953, [illegible]54, 3955, 3956, 3957, 3958, 3959, 396[illegible], 3962, 3963, 3964, 4798, 4801, 4804, 4806, 4807, 4808, 4809, 4811, 3963/8941 कुल रकबा 6.68 हैक्टेयर

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.13 15:06:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

फर्द अहकाम

(30)

लय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

मन्नी बनाम तीजा देवी

संख्या /वर्ष 1 N0- 90/2020 : /20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	राजस्व ग्राम आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर स्थित के मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 07.06.2022 को सरे इजलास सुनाया गया। सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय Signature Not Verified Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal Date: 2023.01.13 15:06:13 IST Reason: SelfAttested	

Scanned with OKEN Scanner